नियम 238—क, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक)

प्रारूप—घ

समक्ष न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, इन्दौर(म.प्र.)

{अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्या0निवा0)अधि0, 1989}

समक्ष : (डी.पी.मिश्रा)

निर्णय की तारीख : **(16.06.2026)**

(प्रकरण संख्या : विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 137 / 2019)

Case No-SCATR/137/2019
Filing No.-SCATR/63414/2019
CNR No.-MP0901-73663-2019
Filing date- 21-11-2019

(प्र.सू.रि. / अपराध क्रमांक—608 / 2019 और पुलिस हीरानगर इंदौर)

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र हीरानगर इंदौर (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा अभियोजन	श्री विशाल श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	मोहम्मद अहमद हैदर पिता अब्दुल करीम, आय—50 वर्ष, निवासी— 36, गांधी ग्राम कॉलोनी न्यूरोड़ खजराना इंदौर म.प्र.
प्रतिनिधित्व अभियुक्त द्वारा	श्री इस्तियाज मंसूरी अधिवक्ता।

नियम 238—क, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक)

प्रारूप—ङ

अपराध की तारीख	30.08.2019
प्र.सू.रि. की तारीख	31.08.2019
आरोप—पत्र की तारीख	21.11.2019
आरोपों के विरचना की तारीख	09.04.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	25.04.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	16.06.2026

16-6-026
देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

निर्णय की तारीख	16.06.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने का तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	मोहम्मद अहमद हैदर पिता अब्दुल करीम	निरंक	निरंक	376, 376 (2)(k) भा.दं.सं. तथा 3(2)(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या. निवा.) अधिनियम	दिनांक 16.06. 2026	निल	संलग्न

नियम 238—क, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक)

प्रारूप—च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	छीतरमल	अन्य साक्षी
अ.सा.2	नाथूलाल	अन्य साक्षी
अ.सा.3	रानी पिपरैया	अन्य साक्षी
अ.सा.4	अभियोक्त्री (एक्स)	फरियादी / आहत साक्षी
अ.सा.5	डॉ. अमिता धाकड़	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.6	सुमन तिवारी	पुलिस साक्षी
अ.सा.7	डॉ. मुकेश जायसवाल	चिकित्सक साक्षी

16-6-026
देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

अ.सा.8	सुभाषचंद खेरदे	पुलिस साक्षी
अ.सा.9	निहित उपाध्याय	पुलिस साक्षी
अ.सा.10	आशा चौहान	पुलिस साक्षी
अ.सा.11	राजाराम जाट	पुलिस साक्षी
अ.सा.12	जगदीश मालवीय	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
प्रति. साक्षी	निल	निल

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा.	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

सं. कं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	जाति प्रमाण पत्र
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.3	रीना के पुलिस कथन
4	प्रदर्श पी.4/अ.सा.4	प्रथम सूचना रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी.5/अ.सा.1	अपराध विवरण (नक्शामौका)
6	प्रदर्श पी.6/अ.सा.5	मेडिकल प्रपत्र (एमएलसी)
7	प्रदर्श पी.7/अ.सा.5	महरूह फार्म
8	प्रदर्श पी.8/अ.सा.5	मेडिकल रिपोर्ट
9	प्रदर्श पी.9/अ.सा.7	मेडिकल रिपोर्ट

16-6-026

अधि., इन्दौर

10	प्रदर्श पी.10/अ.सा.8	जप्ती पंचनामा
11	प्रदर्श पी.11/अ.सा.9	एफएसएल जांच हेतु भेजा गया ड्राफ्ट
12	प्रदर्श पी.12/अ.सा.9	एफएसएल प्राप्ति रसीद
13	प्रदर्श पी.13/अ.सा.9	जांच रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी.14/अ.सा.11	जप्ती पंचनामा
15	प्रदर्श पी.15/अ.सा.12	गिरफ्तारी पंचनामा
16	प्रदर्श पी.16/अ.सा.12	गिरफ्तारी की सूचना का नोटिस
17	प्रदर्श पी.17/अ.सा.12	आरोपी की एमएलसी

ख. प्रतिरक्षा :

सं. क्रं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं. क्रं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं. क्रं.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1	निल	निल

::: नि र्ण य :::

(आज दिनांक 16 जून, 2026 को घोषित किया गया)

01. आरोपी के विरूद्ध धारा 376(1), 376 (2)(k), भा.दं.सं. तथा 3(2)(v), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

16-6-026

देवन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

— दिनांक 30.08.2019 के शाम 07:45 बजे या इसके लगभग आरोपी ने गौरी नगर अंतर्गत थाना हीरानगर में अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया।

— उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने अपना नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया।

— उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने गैर अनुसूचित जाति का सदस्य होते हुए अभियोक्त्री को अनुसूचित जाति की सदस्य होना जानते हुए उसके साथ बलात्संग किया जो भा.दं.सं. में 10 वर्ष या उसके अधिक के कारावास से दंडनीय है, अपराध कारित किया।

02. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की शादी घटना दिनांक से 5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। दिनांक 30.08.2019 को शाम 07:30 बजे अभियोक्त्री के घर आरोपी मोहम्मद हैदर जो अभियोक्त्री के ससुर से परिचित था, आकर कहने लगा कि वह झाड़–फूक करता है, जिससे बच्चे हो जाते है तब अभियोक्त्री के घर के पीछे वाली कमरे में अभियोक्त्री को बैठाकर पूजा पाठ करने लगा, घर के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और बोला कि कोई अंदर नहीं आयेगा। पूजा पाठ के दौरान अभियोक्त्री बेहोश हो गई। आरोपी ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध गलत काम किया, उसके बाद वह अपने घर चला गया। डर के कारण अभियोक्त्री ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। दिनांक 31.08.2019 को शाम 4 बजे घटना के बारे में अपने पति छीतरमल को बताया और अपने पति को साथ लेकर थाना हीरानगर पहुंचकर दिनांक 31.08.2019 के लगभग 7:15 बजे शाम को घटना की रिपोर्ट प्र.पी.4 दर्ज कराई। पुलिस ने अभियोक्त्री का चिकित्सा परीक्षण कराया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, जाति प्रमाण पत्र की जप्ती बनाई, अभियोक्त्री एवं आरोपी का मेडिकल करवाया गया। विवेचना पूर्ण कर पुलिस थाना हीरानगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

16-6-026

दवन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
...अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

03. पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376(1), 376(2)(k). भा.दं.सं. तथा 3(2)(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम के अंतर्गत आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया है तथा अपने परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. में आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है।

04. प्रकरण में अवधारणीय प्रश्न निम्न हैं –

01. ''क्या अभियोक्त्री अनुसूचित जाति की सदस्य है तथा आरोपी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है ?''

02. ''क्या दिनांक 30.08.2019 को शाम 7:45 बजे अभियोक्त्री के घर पर आरोपी अभियोक्त्री की इच्छा व सम्मति के बिना तथा अभियोक्त्री की इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाकर बलात्संग किया था ?''

03. ''क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने गैर अनुसूचित जाति का सदस्य होते हुए अभियोक्त्री को अनुसूचित जाति की सदस्य होना जानते हुए अभियोक्त्री पर अपना नियंत्रण या प्रभाव रखते हुए अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया था ?''

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 पर निष्कर्ष :–

05. **छीतरमल अ.सा.1** अभियोक्त्री का पति है, **नाथूलाल अ.सा.2** अभियोक्त्री का ससुर है, **रानी पिपरैया अ.सा.3** अभियोक्त्री की नन्द है। **अभियोक्त्री अ.सा.4** ने स्वयं को कोली अनुसूचित जाति का होना प्रकट कर **प्र.पी.1** का जाति प्रमाण पत्र स्वयं का होना कहा है। छीतरमल अ.सा.1 ने उक्त कथन की पुष्टि कर प्र.पी.1 का जाति प्रमाण पत्र पुलिस को जप्त कराया जाना प्रकट कर जप्ती पत्रक **प्र.पी.2** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये है। नाथूलाल अ.सा.2 ने भी यह कहा है कि अभियोक्त्री उसकी पुत्रवधु है जो कोली अनुसूचित जाति की है।

16-6-026

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

06. **निहित उपाध्याय अ.सा.9** ने प्र.पी.1 का जाति प्रमाण पत्र जप्त करना कहते हुए जप्ती पत्रक प्र.पी.2 प्रमाणित किया है तथा यह कहा है कि छीतरमल से उक्त जाति प्रमाण पत्र जप्त किया था। प्रतिपरीक्षा के दौरान छीतरमल अ.सा.1, नाथूलाल अ.सा.2, अभियोक्त्री अ.सा.4 ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है, जिससे अभियोक्त्री के कोली अनुसूचित जाति का सदस्य होने का तथ्य खंडित होता हो। प्र.पी.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, जिससे यह पुष्ट होता है कि अभियोक्त्री पुत्री भंवरलाल ''कोली'' निवासी अकलेरा झालावाड़ कोली जाति की है, जो राजस्थान राज्य के लिए सूची कमांक 37 पर दर्ज है। खंडन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार उक्त परस्पर समर्थित साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री कोली अनुसूचित जाति की सदस्य है।

07. छीतरमल अ.सा.1, नाथूलाल अ.सा.2, अभियोक्त्री अ.सा.4 ने आरोपी को मुस्लिम धर्म का व्यक्ति होना बताया है। आरोपी ने अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह गैर अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।

अवधारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3 पर निष्कर्षः—

08. आरोपी के अभियोक्त्री को कोली जाति की सदस्य होने के ज्ञान के संबंध में साक्ष्य को देखा जाये तो छीतरमल अ.सा.1 ने साक्ष्य में मात्र यह कहा है कि आरोपी इसके पिता को लोहा मंडी देवास नाका में मिला था जो वेल्डिंग का काम करता था। नाथूलाल अ.सा.2 ने उक्त कथन का समर्थन किया है और यह कहा है कि इस साक्षी को मजदूरी के दौरान न्यू लोहा मंडी इंदौर में आरोपी मिला था जो वेल्डिंग का काम करता है। अभियोक्त्री अ.सा.4 ने साक्ष्य में कहा है कि इसके ससुर नाथुलाल के साथ आरोपी काम करता था, यद्यपि किसी भी साक्षी के मुख्यपरीक्षा के दौरान किये गये कथन से यह परावर्तित नहीं होता कि आरोपी को अभियोक्त्री की जाति के बारे में या उसके परिवार के

16-6-026

देवन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

किसी सदस्य की जाति के बारे में जानकारी हो, किन्तु छीतरमल अ.सा.1 को प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव दिये जाने पर कि इसकी मां ने इसे बताया था कि अभियोक्त्री को आरोपी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा था, यह साक्षी इंकार किया है। नाथुलाल अ.सा.2 को यह सुझाव दिये जाने पर कि इसकी पत्नी मायादेवी ने आरोपी हैदर से इसकी बहू अभियोक्त्री को संबंध बनाते हुए देख लिया था, इस साक्षी ने भी इंकार किया है। उक्त आशय का सुझाव अभियोक्त्री अ.सा.4 को दिये जाने पर उसने इंकार किया है, जिससे यह उपधारणा होती है कि आरोपी का अभियोक्त्री के यहां आना जाना था और उसे अभियोक्त्री की जाति के बारे में जानकारी थी।

09. **अभियोक्त्री अ.सा.4** मामले की महत्वपूर्ण साक्षी है, इस साक्षी के साक्ष्य अनुसार इसके ससुर नाथुलाल ने बताया था कि आरोपी हैदर बच्चे होने की दवाई करता है। आरोपी, नाथूलाल के साथ काम करता है, इसलिए उस पर विश्वास था। घटना दिनांक को इसके ससुर नाथुलाल, आरोपी को इसके घर **दिन के ढाई–तीन बजे** गौरीनगर में लेकर आये थे। नाथुलाल ने इसे अंदर कमरे में भेजा था, जहां आरोपी हैदर अली था। ससुर ने कहा था कि आरोपी अंदर बच्चे होने की दवा देगा। आरोपी ने इसे कमरे में **भभूत खिला दी**, इसके बाद बेहोश हो गई। एक–ढेड घंटे के बाद जब होश में आयी तो हाथपाव चल नहीं रहे थे, **आवाज नहीं निकल रही थी, बाद में जब उसके पति छीतरमल अंदर आये तो उसे घटना के बारे में बताया था** कि भभूत खिलाकर बेहोश करके आरोपी ने उसके साथ गंदा काम (रेप) किया है। फिर इसने थाना हीरानगर में **प्र.पी.4** की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, प्र.पी.4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है। इस साक्षी के साक्ष्य अनुसार घटना दिनांक को दो–ढाई बजे अपरान्ह में घटना के एक–डेढ घंटे तक बेहोश रही, इसके बाद इसके पति छीतरमल आये थे, उसने अपने पति के साथ आरोपी द्वारा भभूत खिलाकर बेहोश करके बलात्कार किये जाने की बात बताई थी।

16-6-026

देवन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

10. तत्कालीन उपनिरीक्षक **सुमन तिवारी अ.सा.6** ने दिनांक 31.08.2019 को अभियोक्त्री की रिपोर्ट थाना हीरानगर के अपराध क्रमांक 608/2019 पर लेखबद्ध करना कहते हुए रिपोर्ट रिपोर्ट प्र.पी.4 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है और यह कहा है कि अभियोक्त्री को रिपोर्ट पढकर सुनाने के बाद हस्ताक्षर अभियोक्त्री ने किया था, उसे मेडिकल के लिए भेजा था। प्र.पी.4 पर यह दर्शित है कि दिनांक 30.08.2019 को 19:45 बजे अर्थात् शाम 07:45 बजे की घटना होना अभिवर्णित है। अभियोक्त्री ने दिनांक 31.08.2019 को 19:15 बजे अर्थात् शाम 07:15 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना स्थल से थाने की दूरी 2 किलोमीटर अभिदर्शित होता है। अभियोक्त्री अ.सा.4 के साक्ष्य अनुसार घटना समय के कुछ देर उपरांत ही इसके पति अंदर जब गये तब इसने उसे घटना के बारे में बताया था फिर इसके बाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटनास्थल से थाना हीरानगर की अल्प दुरी 2 किलोमीटर को दृष्टिगत रखते हुए 24 घंटे विलंब से रिपोर्ट लिखाये जाने का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। अभियोक्त्री ने भी अपने साक्ष्य दौरान इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अभियोक्त्री अ.सा.4 के न्यायालयीन कथन की पुष्टि सारवान तथ्यों के संबंध में लिखाई गई रिपोर्ट प्र.पी.4 से होना प्रतीत नहीं होता है। प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में यह इंकार की है कि उसने भभूत खिलाने वाली बात रिपोर्ट में नहीं लिखाई थी, अर्थात् रिपोर्ट में उक्त बात लिखाई थी, जबकि रिपोर्ट प्र.पी.4 में उक्त तथ्य उल्लेखित नहीं है। न्यायालयीन कथन में ढाई–तीन बजे दोपहर में घटना होना बताया है, जबकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में शाम साढे सात बजे की घटना होना लेख है। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय न होकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.4 की सत्यता भी शंकास्पद होना प्रतीत होता है।

11. **छीतरमल अ.सा.1** ने साक्ष्य में यह कहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी खजराना से इसके घर पर आया था, आरोपी ने पूजा का जो सामान

16-6-026

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

मंगवाया था इसने पूजा का सामान उसे दिया था। आरोपी ने कहा था कि अंदर रूम में पूजा करनी पड़ेगी, इसकी पत्नी को वहां बैठाया था। इस साक्षी को, इसके माता–पिता को कमरे से बाहर कर दिया था। अपनी पत्नी अभियोक्त्री को और आरोपी को कमरे में छोड़कर यह साक्षी, इसके पिता नाथूलाल और मां बाहर आ गये थे, **लगभग 25 मिनट** बाद कमरे का सामान आरोपी बाहर लेकर आया था, **पोटली बांधकर इस साक्षी को कहा था कि चौराहे पर रख आओ तो इसके पिता नाथूलाल सामान लेकर चौराहे पर रखने चले गये थे**। आरोपी बाहर बैठ गया था, उसके कहने पर उसकी मां मायाबाई इसकी पत्नी अभियोक्त्री को बुलाने कमरे में गई थी और बाहर लेकर आयी थी। उस समय पत्नी चलने की हालत में नहीं थी। आरोपी यह कहकर इस साक्षी को कि अपनी पत्नी से दो दिन अलग रहना पड़ेगा, **आरोपी अपने घर चला गया था अर्थात्** जब आरोपी इसके घर से गया था, उस समय इसके पिता नाथूलाल घर पर नहीं थे। अग्रेतर साक्ष्य में यह कहा है कि यह साक्षी दूसरे दिन 03:30–4:00 बजे घर आया था जब इसकी पत्नी ने इसे घटना के बारे में बताया था। अभियोक्त्री से हटकर यह कहा है कि **इसकी पत्नी ने दूसरे दिन बताया था कि आरोपी, अभियोक्त्री को कहा था कि बलात्कार वाली बात पति को पता चलेगी तो पति अभियोक्त्री को नहीं रखेगा, इसलिए पहले दिन नहीं बताई थी**।

12. जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.4 के अनुसार 07:45 बजे शाम की अभिकथित घटना घटित हुई थी, अभियोक्त्री अ.सा.4 ने साक्ष्य में दोपहर ढाई से तीन बजे अपने साथ घटना होना बताया है, छीतरमल अ.सा.1 जो घटना के समय स्वयं को घटना स्थल अर्थात् उसके घर के बाहर उसके माता–पिता के साथ होना कहा है, ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में यह कहा है कि **आरोपी हैदर इसके घर सुबह 11:30 बजे** खुद ही आया था, पूजा पाठ कराने में लगभग पौन घंटा अर्थात् 45 मिनट लगे थे। विसंगतपूर्ण कथन करते हुए नाथुलाल अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षा **में शाम 07:30 बजे आरोपी हैदर को खुद लेकर आना कहा**

16-6-026
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

है, तीनों साक्षीगण जो घटना के समय मौजूद थे, ने अपने साक्ष्य के समय के संबंध में भिन्न–भिन्न विरोधाभासी कथन किया है। छीतरमल अ.सा.1 ने दिन के 11:30 बजे, अभियोक्त्री ने दिन के ढाई–तीन बजे दोपहर में तथा नाथुलाल अ. सा.2 ने रात्रि 07:30 बजे के उपरांत अभिकथित घटना घटित होना बताया है, साक्षी छीतरमल ने आरोपी को खुद अपने घर पहुंचना कहा है।

13. छीतरमल अ.सा.1 ने साक्ष्य की कंडिका 6 में यह कहा है कि घटना के 3–4 दिन पूर्व आरोपी ने पूजा के सामान की लिस्ट इसके घर पर आकर बनवाई थी और इसके पिता नाथूलाल पूजा की सामग्री लेने गये थे, इसने पूजा के सामान की लिस्ट नहीं पढी थी। नाथुलाल अ.सा.2 ने कंडिका 5 में एक बार यह कहा है कि पूजा की सामग्री यह साक्षी लेकर आया था, हैदर नहीं। जिस दुकान से सामग्री लेकर आने को कहा था वहां से सामान लेकर आया था, सामान कितने में आया था, पूछे जाने पर ध्यान नहीं होना कहा है तथा किस दुकान से सामान लाया था, उस दुकान के नाम का ध्यान नहीं होना कहा है। इस साक्षी ने यह इंकार किया है कि सामान लाने की बात झूठ बोल रहा है, इसलिए कीमत बता पाने में असमर्थ है।

14. छीतरमल अ.सा.1 ने साक्ष्य की कंडिका 7 में यह कहा है कि पूजा होने के बाद पूजा के सामान की पोटली इसके पिता नाथूलाल फेंकने गये थे। नाथुलाल अ.सा.2 ने विरोधाभासी कथन करते हुए कंडिका 7 में कहा है **कि पूजा का सामान हैदर ही लेकर गया था** अर्थात् यह साक्षी पूजा की पोटली लेकर फेंकने नहीं गया था। छीतरमल अ.सा.1 ने साक्ष्य की कंडिका 3 में कहा है कि जब इसके पिता पोटली फेंकने गये थे, उसके बाद आरोपी बाहर बैठ गया और इसकी पत्नी इसे तथा इसकी मां को समझाने के बाद आरोपी अपने घर चला गया था। नाथूलाल अ.सा.2 विसंगतपूर्ण कथन करते हुए कंडिका 7 में कहा है कि यह साक्षी लगभग 09:30 रात्रि हैदर को छोड़ने गया था और पूजा का सामान हैदर ही लेकर गया था। इस प्रकार घटना के महत्वपूर्ण तथ्य एवं

16-6-020

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौ.

परिस्थितियों के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन दोनों साक्षीगण ने किया है, जिससे उक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता दुष्प्रभावित हो जाती है।

15. अभियोक्त्री अ.सा.4 ने साक्ष्य की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि इसके ससुर नाथुलाल सुबह 11–12 काम पर जाते थे रात के 8–9 बजे लौटते थे, छीतरमल सुबह 8–9 बजे जाते थे और रात्रि के 11 बजे लौटते थे, इस दौरान यह साक्षी और इसकी सास मायाबाई घर पर ही रहती थी। पति छीतरमल रेलवे स्टेशन पर बिल्टी बनाता था तथा ससुर नाथुलाल टीन शेड लगाने का काम करते थे। घटना की परिस्थति के संबंध में छीतरमल अ.सा.1 तथा नाथूलाल अ.सा.2 जो घटना के समय स्वयं को बाहर होना प्रकट किये है, घटना की परिस्थितियों को बताये है, महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में विरोधाभास है, जिससे उनकी उपस्थिति घटना के समय शंकास्पद हो जाती है। अभियोक्त्री की साक्ष्य अनुसार **घटना के तुरन्त बाद अभियोक्त्री ने घटना के बारे में इसके पति छीतरमल अ.सा.1 को बताया था फिर रिपोर्ट लिखाई थी।** यदि छीतरमल .घटना के समय उपस्थित होता तो तुरंत उसी दिन 2 किलोमीटर दूर स्थित थाने में अवश्य रिपोर्ट लिखाई होती। छीतरमल अ.सा.1 ने यह इंकार किया है कि एक दिन यह साक्षी जब काम पर से लौटा था तो इसकी मां ने आरोपी और इसकी पत्नी को साथ संबंध बनाते हुए पकड़ना बताया था, तत्पश्चात् परिवार वालों ने कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट लिखाई थी। मायाबाई जो नाथुलाल की पत्नी होकर महिला है, जिसे घटना के समय उपस्थित रहना अभिकथित है, मामले में महत्वपूर्ण साक्षी थी, लेकिन अभियोजन द्वारा मायाबाई का साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन के प्रति प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है।

16. **रानी पिपरैया अ.सा.3**, छीतरमल अ.सा.1 की बहन तथा नाथुलाल अ.सा.2 की पुत्री है। यह साक्षी पक्ष विरोधी घोषित की गई है। इस साक्षी ने

16-6-026

विशेष न्यायाधीश
अ.जा और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

मात्र यह कहा है कि 2014 में इसके भाई छीतरमल की शादी हुई थी, उसे बच्चे नहीं है, जिस दिन रिपोर्ट लिखाई गई थी, उस दिन इस साक्षी ने अपनी मां मायाबाई को फोन लगाया था, अपने भाई छीतरमल को भी फोन लगाया था तो उन्होंने बोला था कि विजय नगर थाने में है तो यह साक्षी थाना विजय नगर पहुंच गई थी, इसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर समस्त सुझावों को इंकार कर पुलिस कथन **प्र.पी.3** पढकर सुनाये जाने पर पुलिस को देने से इंकार किया है। यद्यपि यह स्वीकार की है कि थाना विजय नगर में उस दिन पता चला था कि हैदर ने झाड–फूंक और बच्चा पैदा करने का बोलकर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया था, किन्तु किस व्यक्ति ने बताया था, इस संबंध में कथन नहीं किया है। यदि अभियोक्त्री के साथ बलात्कार जैसी गंभीर घटना कारित हुई होती तो यह साक्षी विजयनगर थाने में अभियोक्त्री की सगी ननंद होकर थाना पहुंची थी तो इसकी मां मायाबाई इसे अवश्य घटना के बारे में बताती। इस साक्षी की प्रास्थिति को देखते हुए अभियोजन मामले की सत्ययता संदिग्ध हो जाती है।

17. महिला आरक्षक **आशा चौहान अ.सा.10** की साक्ष्य अनुसार दिनांक 31.08.2019 को अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण के लिए एम.वाय. अस्पताल अभियोक्त्री का मेडिकल फार्म भरकर ले गये थे। एम.एल.सी. रिपोर्ट **प्र.पी.6** पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। **डॉ. अमिता धाकड़ अ.सा.5** ने दिनांक 31.08. 2019 को एम.वाय. अस्पताल में महिला आरक्षक आशा के लाये जाने पर अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण किया है। इस साक्षी ने यह कहा है कि अभियोक्त्री अ.सा.4 ने यह हिस्ट्री बताई थी कि शादी के 5 साल बाद भी गर्भ धारण नहीं हुआ था, जिसके लिए अभियोक्त्री के ससुर खजराना से हैदर अली नाम के आदमी को घर लेकर आये थे, अभियोक्त्री को कुछ नशे का पदार्थ दिया था और डराया–धमकाया था और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे। अभियोक्त्री ने यह भी बताया था कि गौरीनगर पर दिनांक 30.08.2019 को

16-6-026

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि. इन्दौर

07:00 बजे के करीब इसके साथ घटना घटित हुई थी। अभियोक्त्री के अपने पति के साथ आखरी बार संबंध 4–5 दिन पूर्व बने थे। अभियोक्त्री अ.सा.4 ने जहां साक्ष्य में दोपहर 3:30 बजे भभूत खिलाने पर बेहोशी में आरोपी द्वारा उसके साथ घटना कारित किया जाना प्रकट किया है, मेडिकल हिस्ट्री में नशे का पदार्थ खिलाकर, डरा–धमकाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाना बताया है, जो विसंगतपूर्ण कथन है। मेडिकल हिस्ट्री में जहां शाम के लगभग 7 बजे अपने साथ घटना कारित होना अभियोक्त्री ने बताया है, न्यायालीयन कथन में ढाई–तीन बजे अपरान्ह में घटना की बात बताई है।

18. डॉ. अमिता धाकड़ अ.सा.5 के साक्ष्य अनुसार परीक्षण करने पर अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये थे। इस साक्षी ने अभियोक्त्री के नाखून की कतरन, अंडरवियर, प्यूबिक हेयर, वेजाईनल स्लाईड एवं वलवल स्लाईड बनाई जाकर जांच के लिए आरक्षक को दिया था तथा प्रेग्नेंसी टेस्ट, वायरल मार्कर, सोनोग्राफी, खून में बेहोशी की दवा की जांच की सलाह दी थी तथा साथ ही अभियोक्त्री को टिटनेस का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी थी। इस साक्षी ने स्वयं द्वारा बनाई मेडिकल **रिपोर्ट प्र.पी.6** पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। एम.एल.सी. **रिपोर्ट प्र.पी.7** के आधार पर प्र.पी.6 की रिपोर्ट तैयार करना कहा है। परीक्षण के समय अभियोक्त्री को सामान्य स्थिति में होना, गुप्तांग का एक्जामिनेशन के प्रक्रम पर कोई असमान्य चीज नहीं मिलना कहा है और यह कहा है कि अभियोक्त्री पूर्ण होश में थी। प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतः यह कही है कि बलात्संग होने का कोई लक्षण परीक्षण के दौरान नहीं पाया गया था, इसलिए एफ.एस.एल. जांच हेतु उपरोक्त सामग्रियां दी थी। अभियोक्त्री को शपथ नहीं दिलवाया था, यदि उसने गलत हिस्ट्री बताई हो तो इसके बारे में नहीं कह सकती। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य अभियोक्त्री के साक्ष्य से संपुष्ट होना प्रतीत नहीं होता।

16-6-026
देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

19. **आशा चौहान अ.सा.10** ने चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई उपरोक्त वर्णित सामग्रियां जो सीलबंद पैकेट में थी, सीलनमूना सहित प्रधान आरक्षक सुभाषचंद्र को जप्त कराया जाना कहते हुए **प्र.पी.10** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये है। **सुभाषचंद्र अ.सा.8** ने भी इस साक्षी के साक्ष्य का समर्थन कर प्र.पी.10 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त वर्णित सामग्री पुलिस द्वारा जप्त की गई थी।

20. **उपनिरीक्षक जगदीश अ.सा.12** के साक्ष्य अनुसार दिनांक 01.09.2019 को इस साक्षी ने आरोपी हैदर को **प्र.पी.15** के अनुसार गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी की सूचना **प्र.पी.16** उसकी पत्नी को दी थी, मजरूह फार्म **प्र.पी.17** भरकर उसे अस्पताल ले जाया जाना कहा है। प्र.पी.15, प्र.पी.16, प्र.पी.17 पर इस साक्षी ने अपने अस्ताक्षर प्रमाणित किये है। उक्त तथ्य का खंडन प्रतिपरीक्षा के दौरान नहीं किया गया है, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के पूर्व उसकी पत्नी को दी गई सूचना का तथ्य प्रमाणित होता है।

21. **डॉ. मुकेश जायसवाल अ.सा.7** ने जगदीश अ.सा.12 के साक्ष्य का समर्थन कर यह कहा है कि दिनांक 01.09.2019 को आरोपी को आरक्षक द्वारा एमवाय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था। आरोपी की मुछे–दाडी, छाती पर बाल, दोनों तरफ बगल में बाल पूर्ण विकसित थे। प्यूबिक हेयर, पेनिस, दोनों तरफ के अंडकोष, क्रिमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स पूर्ण विकसित थे, उसके सरकल साईज्ड अर्थात् खतना किया हुआ था। जांच में ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हैदर इंटरकोर्स करने के लिए असमर्थ हो। इस साक्षी की साक्ष्य से मात्र यह प्रमाणित होता है कि आरोपी हैदर इंटरकोर्स करने हेतु समर्थ था। इस साक्षी के साक्ष्य अनुसार आरोपी की अंडरवियर, प्यूबिक हेयर, सीमन स्लाईड बनाकर सीलबंद कर आरक्षक को सुपुर्द किया था। चिकित्सीय रिपोर्ट **प्र.पी.9** पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

6-6-026
देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

22. **राजाराम जाट अ.सा.11** की साक्ष्य अनुसार आरक्षक द्वारा आरोपी से संबंधित अस्पताल से प्राप्त उपरोक्त सामग्रियां थाना हीरानगर में **प्र.पी.14** के मुताबिक जप्त की थी। इस साक्षी ने जप्ती पत्रक प्र.पी.14 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

23. **निहित उपाध्याय अ.सा.9** मामले के विवेचना अधिकारी है। इस साक्षी ने रीना, नाथूलाल, मायाबाई, छीतरमल के कथन लेखबद्ध किया है। अभियोक्त्री की निशादेही पर नक्शा मौका **प्र.पी.5** बनाया है तथा जप्तशुदा आर्टिकल **प्र.पी.11** ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा था, जिसकी रसीद **प्र.पी.12** है, एफ.एस.एल जांच हेतु भेजा जाना कहा है। **प्र.पी.13** एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट है। एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट स्वमेव प्रमाण के समतुल्य दस्तावेज है, जिससे यह परावर्तित होता है कि अभियोक्त्री से संबंधित जप्तशुदा अंडरवियर, वलवल प्रदर्श–बी, स्लाईड प्रदर्श–सी तथा स्लाईड प्रदर्श–ई पर वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाये गये थे तथा आरोपी से संबंधित स्लाईड एफ–1 तथा अंडरवियर प्रदर्श एफ–3 पर भी वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाये गये थे। प्रदर्श बी, सी. तथा ई जो अभियोक्त्री से संबंधित स्लाईड, अंडरवियर एवं वलवल की सामग्रियां हैं, पर पाये गये शुक्राणु आरोपी के ही हो इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, कोई डी.एन.ए. टेस्ट भी नहीं कराया गया है। अभियोक्त्री विवाहित महिला है, मात्र शुक्राणु की उपलब्धता के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त शुक्राणु आरोपी के ही हो।

24. **निहित उपाध्याय अ.सा.9** ने यह स्वीकार किया है कि पूजा की सामग्रियों की लिस्ट उसने जप्त नहीं की थी, जिस दुकान से सामग्रियां आयी थी, उन दुकानदारो से कोई पूछताछ नहीं की थी। पूजा की कोई सामग्री भी जप्त नहीं किया गया था। यद्यपि यह इंकार किया है कि अभियोक्त्री की कोई पूजा आरोपी ने नहीं कराई थी, इसलिए पूजा की सामग्रियां नहीं जप्त की थी, किन्तु जहां पूजा के समय बेहोश कर घटना किया जाना अभिकथित है,

16-6-026
देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

छीतरमल एवं नाथूलाल के कथन अनुसार सामग्रियां नाथूलाल द्वारा विभन्न दुकानों से लायी गई थी, आरोपी ने लिस्ट बनाकर दिया था, विवेचना अधिकारी को इस संबंध में विवेचना के दौरान उक्त सामग्रियों की लिस्ट न जप्त किये जाने के आधार पर बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझावों को बल मिलता है।

25 नक्शा मौका प्र.पी.5 से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री के अभिकथित कमरे को क्रमांक 1 से दर्शित किया गया है, बगल में किचन नंबर 2 है तथा उसी से लगा हुआ हाल क्रमांक 3 से दर्शित किया गया है। जहां पर आरोपी के परिवार वालों को बैठना कहा है। जहां अभियोक्त्री के पति, उसके सास–ससुर तीनों मकान में ही हाल में बैठे हो, अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य की कंडिका 13 में यह स्वीकार की है कि बेहोशी की हालत में यह पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है, किन्तु स्वतः कही है कि संभोग करते समय पता चल जाता है कि उसका पति है या कोई दूसरा व्यक्ति। यदि यह पूर्णतः बेहोश नहीं थी और पता चल गया था कि अन्य व्यक्ति अर्थात् हैदर ने गलत काम किया तो लगभग 1 घंटे उपरांत निकलने पर अपने पति, सास–ससुर को अगर बोल पाने में असमर्थ भी हो तो वह उन्हें इशारो में या टूटेफूटे शब्दों में अवश्य बताती।

26. अभियोक्त्री ने कंडिका 12 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी हैदर ने उसके सामने भभूत में कुछ नहीं मिलाया था। अभियोक्त्री अ.सा.4 के कथन अनुसार कंडिका 12 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी हैदर ने उसके सामने भभूत में कुछ नहीं मिलाया था। **स्वतः कहा है कि मंत्र फूका था।** छीतरमल अ.सा.1 ने कंडिका 7 में यह कहा है कि **शमशान घाट की भस्म** आरोपी ने मंगवाई थी जो उसके पापा लेकर आये थे। नाथूलाल अ.सा.2 ने शमशान की मिट्टी, अन्य सामग्रियां साथ लाकर देना कहा है। जहां अभियोक्त्री के सामने तथाकथित भभूत में आरोपी ने कुछ नहीं मिलाया था, इस साक्षी ने यह इंकार किया है कि भभूत उसके पति छीतरमल लेकर आये थे और

16-6-026
देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

आरोपी को बंद पुडिया में दी थी। **साक्षी कही है कि सिर्फ मंत्र फुका था,** किसी भभूत में मंत्र फुकने पर भभूत विषैला हो जाये, उक्त भभूत खाने से कोई बेहोश हो जाये यह कतई विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। अभियोक्त्री के शरीर में कोई विषैला पदार्थ रहा हो, इस संबंध में कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार छीतरमल अ.सा.1, नाथूलाल अ.सा.2 के साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री अ.सा.4 जो अपने साक्ष्य के दौरान बार–बार परिस्थितियों के संबंध में स्वतः स्पष्टीकरण दी है, का भी साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है।

27. इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि आरोपी की अभियोक्त्री के ससुर नाथूलाल से दोस्ती थी, जैसा नाथुलाल अ.सा.2 ने कंडिका 5 में स्वीकार किया है। यदि अभिकथित घटना दिनांक को अभियोक्त्री के ससुर द्वारा दोस्ती हैदर अली के पूजा पाठ के लिए लाये जाने पर आरोपी हैदर द्वारा अभियोक्त्री के साथ उसे बेहोशी की हालत में लेकर बलात्संग जैसी गंभीर .घटना कारित की गई होती तो अभियोक्त्री के पति, ससुर एवं सास अभियोक्त्री के प्रति सहानुभूति रखते जो सहज मानवीय प्रवृत्ति है, किन्तु अभियोक्त्री द्वारा कंडिका 8 में किये गये कथन अनुसार वह अपने मायके से गवाही देने आई थी। ढाई वर्ष से उपर मायके मे रह रही थी, उसके पति उसे लेने नहीं जा रहे थे, जिससे अप्रत्यक्षतः आरोपी का बचाव सम्पुष्ट होना प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री का आरोपी से अवैध संबंध की जानकारी लगने पर अभियोक्त्री के ससुराल वाले अपने साथ ससुराल में नहीं रखा था। इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन मामला शंकास्पद हो जाता है।

28. मामले में अन्य साक्ष्य नहीं है।

29. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन युक्तियुक्त शंका के परे आरोपी के विरूद्ध धारा 376(1), 376 (2)(k). भा.दं.सं. तथा धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति और

16-6-026

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम के आरोप प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। अतः आरोपी को उक्त धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

30. आरोपी के जमानत–मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा अभियोक्त्री का अंडरवियर, प्यूबिक हेयर, वेजाइनल स्मीयर स्लाईड, वलवल स्मीयर स्लाईड, सील नमूना तथा आरोपी के प्यूबिक हेयर, सीमन स्लाईड, अंडरवियर सील नमूना इत्यादि मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि नष्ट किए जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

32. आरोपी का धारा 468 बी.एन.एस.एस का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

दिनांक– 16.06.2026

।। देवेन्द्र प्रसाद मिश्र ।।
विशेष न्यायाधीश,
अजा/अजजा (अत्या0निवा0)अधि0
इन्दौर (म.प्र.)

।। देवेन्द्र प्रसाद मिश्र ।।
विशेष न्यायाधीश,
अजा/अजजा (अत्या0निवा0)अधि0
इन्दौर (म.प्र.)